Shri Samar Guha: If the Minister cannot understand my question, I cannot help it . . . (*interruptions*).

Shri Surendranath Dwivedi: Sir, although you permitted the supplementary, the Minister takes shelter under the plea that it relates to another question.

Shri K. K. Shah: I will come back to Starred Question No. 1477. Broadcasting is made from Gauhati, Imphal, Kurseong, Kohima, Agartala, Siliguri, Calcutta a nd Pasighat.

श्री कामेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 11 जुलाई के रेडियो मास्को का जो बंगाली प्रोग्राम था उस की ओर उनका ध्यान गया है और 16 जून का जो बी० बी० सी० का प्रोग्राम है इन दोनों प्रोग्रामों में भारत के आन्तरिक राष्ट्रीय जीवन पर कीचड़ उछाला गया है क्या उनकी ओर ध्यान गया है और उनका क्या कोई विरोध-पत्र भेजा है ?

Shri K. K. Shah: I will require notice.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय बताएंगे मजबूत ट्रांसमिटर भारत के अलावा दूसरे देशों से भी मंगाने की कोशिश क्या उन्होंने की है और अमेरिका ने क्या कोई मजबूत ट्रांसमीटर देने का आफर किया था और उस में कुछ कंडीशंस भी लगायी थीं ? वह डील खत्म हो गया या अभी बाकी है ?

Shri K. K. Shah: It is true that the deal with America did not come off. But we have already secured two big high-power transmitters from Yugoslavia and Russia

SHORT NOTICE QUESTION

स्टाकहोम में प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन

+

38. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :
श्री आत्म दास :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री श्रीचन्द गोयल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाकहोम में हुए प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन में भाग लेने जो प्रतिनिधिमण्डल गया था, वह वापस आ गया है ;

(ख) प्रतिनिधि मण्डल ने किन बातों पर विशेष बल दिया और क्या किसी अंश तक भारतीय प्रस्ताव स्वीकार हुए ;

(ग) प्रतिलिप्याधिकार करार के अनुसार भारत को अब कितनी राशि देनी पड़ेगी ; और

(घ) प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन के निर्णयों से भारत सरकार कहां तक सहमत है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने विकासशील देशों के बारे में पूर्वलेख (प्रोटोकाल) की स्वीकृति तथा लोकगीतों के संरक्षण के संबंध में विशेष बल दिया था। ये प्रस्ताव अधिकांशत : मंजूर कर लिए गए हैं।

(ग) करार में कोई निश्चित राशि देने की व्यवस्था नहीं है लेकिन शैक्षिक कृतियों के लिये भुगतान, राष्ट्रीय मुद्रा विनियमों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय लेखकों को किए गए भुगतान के स्तरों के अनुरूप किए जाएंगे। अन्य कृतियों के लिए उचित प्रतिकर राष्ट्रीय मुद्रा विनियमों के अनुसार दिया जाएगा। कुल राशि (1) उपयोग में लाई गई कृतियों की संख्या और (2) उनकी बिक्री पर निर्भर करेगी।

(घ) मामला विचाराधीन है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय ने जब यह हाल में घोषणा की थी कि प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से अगले पांच वर्षों में ऊंची शिक्षा दी जायगी तो इस सम्मेलन में जो निर्णय हुए हैं क्या मंत्री महोदय इस से संतुष्ट हैं जब भारत की 14 भाषाओं में विश्व-विद्यालय स्तर तक की शिक्षा दी जायगी तो उस के लिए जो साइंटिफिक और तकनीकी पुस्तकें अपेक्षित हैं वह पूरी मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी? उन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता तो इस निर्णय के बाद नहीं रहेगी? यदि रहेगी तो उस के प्रतिकार के लिए क्या उपाय किए जावेंगे?

श्री शेर सिंह: भारत सरकार सिद्धांत रूप में यह मान चुकी है कि ऊंची से ऊंची शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से देनी है और उस के लिए पुस्तकें चाहिएं, यह ठीक बात है। अनुवाद भी करने हैं हजारों पुस्तकों के। इसलिए समस्या थी क्योंकि जो कमीशन है साइंटीफिक और टेकनालाजिकल टर्मिनालाजी का वह पुस्तकों के अनुवाद के लिए जब बातें करता था फारेन पब्लिशर्स से या लेखकों से तो उस में सालों लगते थे। कई बार वह फैसले नहीं हो पाते थे। इसलिए दस बातों के बारे में जब लेखकों से पत्र-व्यवहार किया गया या पब्लिशर्स से तो उन में से चार ही पूरे हो पाये। तो हमारे सामने यह समस्या थी। अब जो प्रोटोकोल मंजूर किया है उस से यह समस्या सरल हो गई है।

श्री नाथ पाई: मंत्री महोदय को जरा सोत्साह बोलना चाहिए। जरा जोश के साथ, उत्साह के साथ बोलिए।

श्री शेर सिंह: आप चाहते हैं अंग्रेजी में बोलूं।

श्री नाथ पाई: नहीं नहीं।

श्री शेर सिंह: मैं निवेदन कर रहा था कि जो हमारी मुश्किलात थी वह काफी हद् तक हल हो गई और हल इस प्रकार से हो गई, पहले जब कोई किताब अनुवाद के लिए हम मगाते थे किसी बाहर के आथर से तो हम को उस में सालो लगते थे और उस की मंजूरी नहीं मिल पाती थी। अब ऐसा हो गया कि शिक्षा सम्बन्धी प्रकारों के लिये हम को आथर से पूछने की जरूरत नहीं। यह जो कानून बन गया उस के मुताबिक अब आथर से पूछने की जरूरत नहीं, पब्लिशर से भी पूछने की जरूरत नहीं। अब जैसे ही पुस्तक छपती है उस पुस्तक को अनुवाद के लिए हम ले सकते हैं और अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन उस में हम को रायल्टी देनी पड़ेगी और रायल्टी भी हमें अपने जो भारत के लेखक हैं.....

Mr. Speaker: Are you answering the supplementary or are you giving the whole history?

श्री शेर सिंह: मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या आराम हो गया है तो वही बता रहा हूँ। क्योंकि सवाल बहुत लम्बा है इसलिए जवाब भी लम्बा होगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि हम को यह अब आराम हो गया इस कानून के बनने के बाद कि हम किताबों को एकदम अनुवाद के लिए ले सकते हैं और अनुवाद करने के बाद सिर्फ रायल्टी हम को देनी होगी। वह भी

हमारे देश के लेखकों को जिस हिसाब से देंगे उसी हिसाब से देनी पड़ेगी और अपनी करेंसी में भी वह रकम दी जा सकेगी। इस का मतलब है कि ज्यादा पैसा भी नहीं देना होगा और अपनी करेंसी में हम दे सकते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र इस कापी राइट कन्वेंशन में शामिल नहीं हैं जिस में छोटे छोटे राष्ट्र बर्मा, नेपाल, सीलोन जैसे राष्ट्र भी हैं, उन के इस कापी राइट कन्वेंशन में न रहने से उनको क्या हानि है और भारत जो उस पुराने मोह में चिपटा रहना चाहता है उस से उस को क्या लाभ है। इस बार के सम्मेलन में क्या कुछ विदेशी मुद्रा रायल्टी में कम देनी पड़ेगी, इस तरह का भी निर्णय आप सम्मेलन में करा पायें ?

श्री शेर सिंह : लंका इस सम्मेलन का सदस्य है। कुछ और भी पिछड़े हुए राष्ट्र इस के सदस्य हैं और भारत भी उस का सदस्य है। नेपाल नहीं है। सीलोन है। जो इस के सदस्य नहीं हैं उनको कोई आर्थिक हानि नहीं है। और दूसरी बात जो कही विदेशी मुद्रा के बारे में तो मैं ने पहले ही कहा है कि उस की हम बचत कर सकते हैं। ऐसा कानून बनाया है कि हम अपने देशी रुपये में दे सकते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था कि बर्मा और नेपाल जैसे छोटे देशों को इस कापी राइट कन्वेंशन से अलग रहने से कोई हानि नहीं है तो भारत सरकार इस मोह में क्यों पड़ी हुई है उस को क्या लाभ है ।

श्री शेर सिंह : भारत सरकार इस कन्वेंशन का मेम्बर चली आ रही है अंग्रेजों के राज से . .

श्री हुकम चन्द कछवाय: इसीलिए छोड़ना नहीं चाहते हैं !

श्री शेर सिंह : इस का फैसला आप लोग कर सकते हैं। सदन कर सकता है। यह आप के हाथ में है। यह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है।

Mr. Speaker: The hon. Minister may understand the question which is, if Burma and Ceylon being outside are able to get along, how it is impossible for India to remain outside it and get along.

श्री शेर सिंह : इस के बाहर निकलने से हम को कोई नुक्सान आर्थिक दृष्टि से नहीं है। वैसे हम ट्रीटी से बंधे हुए हैं, उस को छोड़ना या न छोड़ना, यह सोचने की बात है। रुपये पैसे के हिसाब से, किताबें तैयार करने के हिसाब से उस से कोई घाटा नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट था जब बर्मा और नेपाल को कापी-राइट कन्वेंशन के बहिसकार से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, मंत्री महोदय स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो भारत सरकार को उस में रहने से क्या लाभ है ? केवल यह उदाहरण देना कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं, अब तो अंग्रेजों का राज्य भारत वर्ष में नहीं है, इस में रहने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : लाभ के बारे में वे क्या कहें।

श्री शेर सिंह : मैं पहले निवेदन किया है कि इस में रहने से आर्थिक दृष्टि से जैसी कि बात आप कर रहे हैं, वैसे तो आज बहुत लाभ की बात नहीं है, लेकिन आपस में देश किसी ट्रीटी में शामिल होते हैं तो उस को छोड़ने से पहले बहुत बार सोचते हैं। बिना सोचे नहीं छोड़ देते हैं। इसी लिये यह प्रतिनिधिमण्डल यह सोच कर गया था कि इस में जा कर हम अपने भले की कोई चीज करवा पायेंगे और उस में हम

सफल हुए हैं। हम जो चीज करवा पाये हैं उस में हमारा लाभ है।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि स्टागहोम में इस बात के लिये दौड़धूप करते रहे कि दूसरे देश जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, वे हस्ताक्षर न करने पायें? आज भी ब्रिटेन के अखबार इस के खिलाफ प्रोपेगैण्डा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस से ब्रिटेन को क्या हानि है? क्या यह सच नहीं है कि हम इतने दिनों तक इस समझौते में इस लिये बंधे रहे कि ब्रिटेन वालों का हमारे देश पर कुछ प्रभाव था?

श्री शेर सिंह: ब्रिटेन यह समझता है कि इस प्रोटोकोल के बनने से उन को बड़ी हानि होगी। इसीलिये उन के पब्लिशर्स ने भी बहुत शोर मचाया और अखबारों में यह मांग की कि वह इस को वीटो कर दे, लेकिन उन्होंने वोटो नहीं किया। उन्होंने यह बताया था कि इस से उनको एक करोड़ पौंड वार्षिक का नुक्सान होगा, क्योंकि आगे चल कर बहुत सी किताबों का इस्तेमाल हम ने करना है। वैसे हम को पता नहीं कि उनको कितना नुकसान होगा, इस का हिसाब लगाना होगा। उन्होंने वहां काफी विरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं चली और वह अकेले रह गये, उन्होंने एब्सटेन किया, लेकिन वीटो नहीं किया।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि हम अंग्रेजों के समय से उस के अन्दर हैं, दूसरे यह बताया कि उस से हमें कोई लाभ नहीं है। जब इस कन्वेंशन से हमें कोई लाभ नहीं है तो क्या अंग्रेजों की परम्पराओं को निभाने के लिये ही उसके अन्दर शामिल हैं? जब उस से कोई लाभ नहीं है तो हम उस से क्यों हटना नहीं चाहते, उसमें क्या अड़चन है?

श्री शेर सिंह : मैंने पहले बताया है कि पहले कुछ प्रतिबन्ध थ, लेकिन अब कन्वेंशन होने से वे प्रतिबन्ध हट गये हैं और अब हम को लाभ हुआ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, परस्पर विरोधी जवाब दिये जा रहे हैं। अभी एक क्षण पहले मंत्री महोदय ने कहा कि कोई लाभ नहीं है, अब कहते हैं कि लाभ है –इस का क्या मतलब है?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): I think there is some misunderstanding about the Minister's reply. The position is that by going to this Convention, we have been able to impose certain conditions and conventions which will be useful to us. This is what he means.

श्री रबी राय: उन को तैयार हो कर आना चाहिये।

श्री शिव कुमार शास्त्री: अध्यक्ष महादय मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में भाग लेने से पहले जितनी विदेशी मुद्रा देनी पड़ती थी, क्या अब भी उतनी ही देनी पड़ेगी, या उस में कुछ बचत होगी?

श्री शेर सिंह : मैंने पहले ही कहा है कि उस में बहुत बड़ी बचत होगी, अब यह भी हो सकता है कि हम बिल्कुल न दें।

Shri J. B. Kripalani: If we do not go to this Convention and do not participate in it, and we are out of it, will we not be free to publish any book we like w ithout the consideration of royalty?

श्री शेर सिंह : मैंने निवेदन किया है कि इसमें यह फैसला हुआ है कि ——

Those books which are meant for teaching, study and research in all fields of education can be translated, reproduced and adapted without

giving any notice to the author or the publisher, the very day those books are published. There is no ban on that according to the new provisions and we have to pay royalties on the standard of payment that we make to our own authors and it could be in our own currency. So, it is up to us as to how much we pay them. It is not for them to decide; it is for us to decide.

Shri Sradhakar Supakar: So far as I have understood the answer, the hon. Minister says....

Shri Surendranath Dwivedy. Mr. Kripalani's question has not been answered.

श्री जी० भा० कृपलानी: हम ने क्या वाल पूछा और क्या जवाब दिया है। हमारा सवाल था कि क्या रायलटी देने के बगैर हम कोई भी किताब पब्लिश कर सक हैं।

Shri Surendranath Dwivedy: He was asking whether we were not free to publish any book without paying any royalty whatsoever.

Mr. Speaker: He said that we would pay royalty in rupees.

Shri Sher Singh: We do not want to deprive the authors of some remuneration in view of the work and labour that they put in in producing books. I think, it will not be all right to deprive them of this. We have to pay some royalty to our authors also. Our authors are very poor indeed. If we just abolish these royalties, then they cannot survive. Therefore, the authors have the right.

Shri Sradhakar Supakar: I want to be clear on the question of royalty on which the answer was very ambiguous. Does the hon. Minister want to say that only those Indian authors who will translate those books will be entitled to get some royalty and not the original authors whose books are translated. If the original authors are also to be remunerated, may I know whether their remuneration will be based on some contract or on our own sweet will, i.e., whatever we want to pay them. This is a definite

Shri Sher Singh: I have already explained. In the Act itself intentionally this has been kept ambiguous. (*Interruptions*) Please listen to me. I will explain why. That is to our advantage. It is left to the countries themselves to decide the quantum of royalty. So, it is for us to decide. Therefore, we have left it ambiguous. It has not been made specific, saying that it should be 1 per cent or 2 per cent or 5 per cent. It is left entirely to us.

Secondly....

Shri R. Barua: I rise on a point of order.

Mr. Speaker: No point of order is raised during Question Hour.

Shri R. Barua: Is it proper for the Government to say that it has been intentionally made ambiguous? It is a dangerous thing.

Shri Sher Singh: I have explained. This decision was not taken by our Government. This decision was taken by 52 Governments and intentionally they kept it ambiguous, they have left it to the countries themselves. It is for the countries to decide on this.

Mr. Speaker: The hon. Member's question was specific, namely whether royalty was going to be given to the foreign authors or to the persons who would translate the works here in India?

Shri Sher Singh: As I have said, authors also but on the same stanwe would give royalty to the foreign dards on which we would give to our authors.

Shri Lobo Prabhu: In view of the fact that we recognise copyright in

this country and make adequate provision for payment of royalty, may I know whether it is the intention of Government to make a distinction in respect of works and thoughts which have been produced in other countries and, if so, whether this does not amount to discrimination, whether this does not amount to an act of theft against a foreigner because he is not able to enforce his rights?

Shri Sher Singh: As I have already explained, we shall treat the foreign authors on a par with our own authors.

Shri Lobo Prabhu: He is not doing that. He is expropriating their rights without giving them any royalties. This amounts to an act of piracy and an act of theft.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अफ्रीकी देशों में उद्योग

*1472. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अफ्रीका के किन किन देशों को तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता देती है तथा इस सहायता का ब्यौरा क्या है ।

(ख) इन देशों की पूरी आवश्यकताएं क्या क्या हैं तथा उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात के लिये उपयुक्त कार्यवाही की है कि अफ्रीका के विकासशील देशों में भारतीय पूंजी की क्षति न होने पाये तथा उद्योगों में लगे हुए लोगों को विस्थापित न होना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इन देशों के साथ किये गये करारों की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है । (पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या LT—1256/67]

(ख) अफ्रीकी देशों की सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी नहीं है । बहरहाल, हम जो सहायता देते हैं वह भारत में सम्बद्ध वस्तु की सुलभता और सीमित साधनों पर निर्भर करती है ।

(ग) और (घ) अभी तक भारतीय पूंजी को नुकसान पहुंचने अथवा उद्योगों में काम करने वाले भारतीयों के विस्थापित किए जाने की कोई खबर नहीं आई है । भारत सरकार ने अफ्रीका के किसी भी देश से इस बारे में कोई समझौता नहीं किया है ।

Indian Enclaves

*1475. **Shri B. K. Das Chowdhury:** Will the Minister of **External Affairs** be please dto state:

(a) whether the Indian Enclaves are administered by the Central Government or by the respective Indian States;

(b) if so,in how any of such Enclaves, there is proper administrative machinery;

(c) if not, whether Government propose to implement the G. Parthasarthy Agreement of 1965 made with the Government of Pakistan, specially after Dahagram firing in 1965;

(d) whether Government are aware that the Government of Pakistan are planning to take possession of the Indian Enclaves; and

(e) if so, the steps which Government propose to take in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) The Indian Enclaves in East Pakistan are under the administrative control of the Government of West Bengal.